317

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या:-264 /XVII-3/16-07 (25MSDP)/2014

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2016

विषयः—वित्तीय वर्ष 2015—16 में देहरादून जनपद के ब्लॉक विकासनगर में महिला आई0टी0आई0, ढकरानी के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1143/XVII-3/14—07(25MSDP)/2014, दिनांक 29.12.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.09.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में देहरादून जनपद के ब्लॉक विकासनगर महिला आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 443.88 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ 438.95 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹ 320.32 लाख + अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो हेतु ₹ 118.63 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹ 219.48 लाख (₹ दौ सौ उन्नीस लाख अडतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2— इस संबंध में आपके पत्रांक—1495/नि.अ.क./M.S.D.P./Budget-Released/2015—16, दिनांक 08.03.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या—3/20(2)/2013—पी0पी0—1, दिनांक 29.02.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त 100% केन्द्रांश की धनराशि ₹ 219.47 लाख (₹ दौ सौ उन्नीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.02.2016 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम से निष्पादित एम0ओ0ए0 के अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर हस्तान्तरण की कार्यवाही ससमय सम्पन्न की जायेगी।
3. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जायेगा।

3192

6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाय।
7. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पडती है तो उच्च शिक्षा विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।
9. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
10. शेष शर्तें/प्राविधान पूर्व शासनादेश दिनांक 29.12.2014 के अनुसार लागू होंगे।
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 'आयोजनागत' के "लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–01–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना" के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
12. यह आदेश शासनादेश संख्याः 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या–S1603150161, दिनांक 09.03.2016 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1336, दिनांक 17.11.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–264 (1)/XVII-3/16, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, प्रशिक्षण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 रा0 नि0 नि0 लि0, ई0 34, नेहरू कालोनी देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. नोडल अधिकारी,/संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
10. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
उप सचिव।